(11)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –48/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रूपवास जिला भरतपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. राजू] पिसरान नारायन कौम खटीक निवासी रूपवास तहसील रूपवास
2. मोहन] –मृतक
3. भगवानदेई पत्नि नारायन कौम खटीक निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर – मृतक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा के विरूद्ध बिना आवंटन के दर्ज गैरखातेदारी/ खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत्।

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन एड0 अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 17.04.2026

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार रूपवास (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् आराजी खसरा न0 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया संलग्न मिसिल है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार के द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) रूपवास के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी सवत् 2069–72 में राजू मोहन पिसरान नारायन, भगवानदेई पत्नि नारायन कौम खटीक निवासी रूपवास जिला भरतपुर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक गै0मु0रास्ता के रूप मे दर्ज रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2012–2015 के राजकीय खाता संख्या 714 मे खसरा नम्बर 1094/0.18 तथा जमाबंदी संवत् 2025–2028 के राजकीय खाता स0 1 में खसरा नम्बर 1094/ 0.14 के रूप में दर्ज रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 का बिना किसी आवंटन के हुक्मन खातेदारी से नामान्तकरण संख्या 808 निर्णय दिनांक 26.4.1973 से जमाबंदी संवत् 2029–2032 में खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो जरिये विरासत नामा0 स0 1147 से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की काबिज काश्त मे है। माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के पत्रांकम 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया गया है। भूमि पर हुये हुक्मन खातेदारी प्रभाव शून्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशिल का प्रकरण जिसका रैफरेन्स मान0राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना है। पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता पर दर्ज हुक्मन खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामान्तकरण संख्या 823 इत्यादि को निरस्त फरमाये जाने हेतु तथा भूमि को पूर्व की भॉति गैर सिवायचक खाते में दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रैफरेन्स करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रिकार्ड नही रही है। आराजी खसरा नम्बर 1094 का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता नारायन को हुआ तथा आवंटन आदेश के आधार पर ही नामान्तकरण खोला गया है तथा विरासत से आराजी अप्रार्थीगण के पक्ष में है जिसकी मंजूरी भी नारायनलाल के हक में ग्राम पंचायत रूपवास द्वारा जारी की गई है जिसकी सनद तहसीलदार रूपवास द्वारा जारी की गई है। उक्त सबंध में कोई जानकारी किये बिना ही रैफरेन्स की कार्यवाही की गई है जो कि अवैधानिक है। आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है जो राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज होने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। रैफरेन्स अत्यधिक म्याद के बाहर पेश किया गया है जो कि काबिल खारिजी है। अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रैफरेन्स खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(13)

हमने पैरोकार सरकार तथा अभिभाषक अप्रार्थी के कथनो पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास के सबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसमें जमाबंदी संवत् 2012–2015 में ख0न0 1094 रकबा 0.18 बीघा गै0मुमकिन तथा जमाबंदी सम्वत् 2025–2028 में खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.14 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2029–32 में खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज होकर नारायन कौम खटीक सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 1989/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता पर अप्रार्थीगण का नाम सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0स0 808 से ख0न0 1094 पर कॉलम न05 में मकबूजा राज के स्थान पर नारायन कौम खटीक सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा नामान्तकरण संख्या 1147 जरिये विरासतन राजू व मोहन पिसरान नारायन मु0मगवानदेई पत्नि नारायण वहिस्सा बराबर कौम खटीक सा0देह खातेदार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1983/1093 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रही है तथा वर्तमान में भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट अनुसार आ0ख0न01989/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता पर सघन आबादी बसी हुई है। वकील अप्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश,ग्राम पंचायत की मंजूरी (अस्पष्ट) की अप्रमाणित प्रति पेश की गई है।

पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 1992 आर.आर.डी 496 में अभिनिर्धारित किया है कि "रास्ता" की भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है। इस प्रकार रास्ता की भूमि को खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है और यदि ऐसी भूमि पर किसी आदेश/डिक्री के द्वारा यदि खातेदारी प्रदत्त कर दिये गये है तो वह प्रभाव शून्य एवं व्यर्थ होने से निरस्तनीय हैं, इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित भूमि पर किसी व्यक्ति को आंवटन/गैरखातेदार दर्ज किया जाना वर्जित रहता है। अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जिससे गै0मु0रास्ता सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये आवंटन को विधिसम्मत माना जा सके। जब अप्रार्थी के पूर्वज को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत है तो उसके आधार पर इन्द्राज खातेदारी का नामान्तकरण अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते है। भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सूचित किया जाना उचित पाते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(14)

अतः आज्ञा है कि:–

प्रार्थना पत्र(रैफरेन्स) प्रार्थी (तहसीलदार रूपवास) स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है कि आराजी नम्बर 1984/1094 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास का किया गया नामान्तरकरण सं0 808 से इन्द्राज गैर खातेदारी अप्रार्थी तथा नामा0 स0 1147 से विरासत अप्रार्थीगण निरस्त किया जाकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे दिनांक 29.05.2026 को उपस्थित हो। यह पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

आज्ञा सुनाई गयी ।

(धनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर